15/2/23 अभिवचन प्रार्थी अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। अभिवचन प्रार्थी अथवा प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं न ही आपत्तिकर्ता 15/2/2023 एवं 16/8/2021 अनुसार विपक्षीगण को तलबी के नोटिस ही प्रस्तुत किए मृतक विपक्षी 3 के कायम मुकाम हेतु आ. पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए अतः प्रकरण अदम हजरी अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner